

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी, 2021

सा.का.नि. (अ)- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 69 (अ) दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित गया था, में:-

- (i) पृष्ठ संख्या 33 पर, पंक्ति 21 में, '2008' के स्थान पर '2208' पढ़ें;
- (ii) पृष्ठ संख्या 34 पर, अनुबंध में, अंत में निम्नलिखित क्र.सं. को जोड़ा जाएगा:-

9.	सा.का.नि. 801 (अ) तारीख 9 नवम्बर, 2011 द्वारा अधिसूचना सं. 99/2011-सीमा शुल्क, तारीख 9 नवम्बर, 2011 ।।
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[फाइल संख्या 334/02/2021-टीआरयू]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार